

संख्या- 6355 / 15-7-06-16(135) / 2006

प्रेषक,

बानू राम,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
विद्या क्षेत्र-2 अनुदान क्षेत्र,  
प्रोग्रेस विहार, नई दिल्ली।

02-02-2007

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्या: दिनांक

जनवरी, 2007

विषय :- तपोत्वसी स्कूल सी०ब्लॉक, सेक्टर-12 प्रताप विहार गांधीनगर की सी०ब्लॉक एम०ई० नई दिल्ली से संकक्षता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय की सी०ब्लॉक एम०ई० नई दिल्ली से संकक्षता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिने जाने में इस राज्य सरकार को विन्मोहित प्रतिबंधों के अन्तर्गत बाधित नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उपरोक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संवर्धित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मांगता प्राप्त है तथा विद्यालय की संकक्षता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्फ्रमिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संकक्षता प्राप्त होने की स्थिति से उपरोक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मांगता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के वित्तिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूच्य वेतनमानों तथा अन्य पत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।



Principal

INDIRAPURAM PUBLIC SCHOOL  
G-Block, Sector-12, Pratap Vihar

  
MANAGER

Indirapuram  
PUBLIC SCHOOL  
C-Block, Sector-12,  
Pratap Vihar, Ghaziabad

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अन्तराष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उसका पालन करेगी।
- (8) विद्यलय का रिकार्ड नियमित रूप से पंजीकृतों में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पालन जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की झूठ या शिथिलता सरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदात अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(बाबू राम)

अगु सचिव।

प्रमुख पत्र दिनांक तदर्थ

प्रतिबंधित विन्नीसिद्धि को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
- 4- निरीक्षक, आर्य भारतीय विद्यालय, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, तपोस्थली स्कूल सी.ब्लॉक, सेक्टर-12 प्रताप विहार गाजियाबाद।
- 6- गार्ड फुल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)

अगु सचिव।

Principal  
INDIRAPURAM PUBLIC SCHOOL  
C-Block, Sector-12, Pratap Vihar,  
Ghaziabad (U.P.)

MANAGER  
Indirapuram  
PUBLIC SCHOOL  
C-Block, Sector-12,  
Pratap Vihar, Ghaziabad